e-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संoसंo– 03 / भूoअoनिo (04) विo सर्वेo–10 / 2022......2741

प्रेषक,

जय सिंह, भाoप्रoसेo
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
[illegible],किशनगंज / सहरसा / कटिहार / बेगूसराय /
खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद / शेखपुरा / अररिया /
पूर्णियाँ / सीतामढ़ी / सुपौल / मधेपुरा / प0 चम्पारण / जमुई /
मुंगेर / नालंदा / शिवहर / बांका / अरवल।

पटना, दिनांक :– 1/10/2022

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के अनुमण्डल स्तर पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के स्तर से अनुश्रवण कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा दिनांक– 22.09.2022 को विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के विशेष सन्दर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में लिए गए निर्णय एवं निदेश के अनुपालन में वर्त्तमान अंचल में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य अन्तर्गत सभी राजस्व ग्रामों में दिसंबर–2022 तक प्रपत्र–12 में प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन किया जाना है। वर्ष–2024 तक संपूर्ण राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण करना है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के इस कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है कि अनुमण्डल स्तर से विशेष सर्वेक्षण कार्यों का सतत् अनुश्रवण किया जाए एवं विशेष सर्वेक्षण शिविरों के साथ–साथ अनुमण्डल अन्तर्गत अंचल कार्यालयों से शिविरों को प्राप्त होने वाले कागजातों अभिलेखों एवं सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए की जानेवाली कार्रवाई की भी समीक्षा की जाए। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य अन्तर्गत अंचल अधिकारियों के स्तर से किए जाने वाले का विवरण निम्नलिखित कार्यों को किया जाना है:–

(i) अंचल स्तर से जमाबन्दी पंजी की प्रति, सरकारी एवं बन्दोबस्त की गई भूमि की विवरणी, सैरात से सम्बन्धित भूमि की विवरणी इत्यादि को प्रपत्र–6 (नई खेसरा पंजी) के निर्माण पूर्व विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराना।

(ii) भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–4166 दिनांक– 12.11.2021 द्वारा दिए गए यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड की सहायता से विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया के क्रम में बनाए गए प्रपत्र–5 (खतियानी विवरणी) एवं प्रपत्र–6 खेसरा पंजी का अवलोकन एवं आवश्यकतानुसार विगत् खतियान में प्रविष्ट सरकारी भूमि के वर्त्तमान समय में हुए रैयतीकरण की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करना उल्लेखनीय है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा–21 के आलोक में लोक भूमि अथवा उसके अंश के सम्बन्ध में सरकार एक अनिवार्य पक्षकार है और इस परिप्रेक्ष्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य में सुनवाई की प्रक्रिया में अंचल अधिकारी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कर्मी की उपस्थिति अनिवार्य है ताकि लोक भूमि का स्वामित्व रैयत के नाम पर निर्धारित न हो और सरकारी भूमि का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) अवैध जमाबंदी के रद्दीकरण का प्रस्ताव समर्पित करना एवं यह प्रमाण–पत्र देना कि अवैध जमाबंदी रद्दीकरण का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(iv) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल के क्षेत्रों में पड़ने वाले पुलिस थाना के साथ समन्वय स्थापित कर पंचायत सरकार भवनों/ग्रामों में अवस्थित विशेष सर्वेक्षण शिविरों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ एवं सुरक्षा उपलब्ध कराना।

(v) क्षेत्र भ्रमण के क्रम में विशेष सर्वेक्षण शिविरों में सुरक्षा एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में आनेवाली समस्याओं को दूर करना एवं अंचल स्तर से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के सम्बन्ध में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करना।

अंचल स्तर से सरकारी भूमि के संरक्षण हेतु भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा पत्रांक– 4166 दिनांक– 12.11.2021 एवं पत्रांक– 5056 दिनांक– 22.08.2022 निर्गत किए गए हैं, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अनुमण्डल स्तर से सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के सतत् अनुश्रवण के लिए सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाए ताकि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के कार्य को ससमय निर्धारित अवधि में सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0–10/2022......2741......**पटना, दिनांकः**...1/10/2022...

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0–10/2022......2741......**पटना, दिनांकः**...1/10/2022...

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/कटिहार / पूर्णियाँ / सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0–10/2022......2741......**पटना, दिनांकः**...1/10/2022...

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक निदेशक/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0–10/2022......2741......**पटना, दिनांकः**...1/10/2022...

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0–10 / 2022......2741............**पटना, दिनांक**...17/10/2022...

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

17/10/22

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2022\Birendra kumar_Aso\director\file no-10_2022_29.09.2022.doc